न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज)

अपील संख्याः– 12/62/2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/312

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री मनीष सोनी वास्ते गायत्री देवी, नि० भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, रेलवे स्टेशन के पास, अलवर (राज०)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रामगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रवेश तिथि :: 12.11.2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 07.01.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 01.10.2025 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियत समयावधि में नहीं मिलने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.11.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक आर.टी.आई./2026 /02 दिनांक 07.01.2026 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 01.10.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से अपीलार्थी को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर द्वारा पत्रांक सं. आर.टी.आई./2026/02 दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है। अतः उक्त आलोक में अपील खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर पत्रांक सं. आर.टी.आई. /2026/02 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत उपलब्ध करा दी गई है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 07.01.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त
जिला कलक्टर प्रथम,
अलवर (राज.)